


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.08.2022 को दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-05/2022 के द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में संशोधन करते हुए जिला आयोग, खगड़िया के 01 पद (महिला हेतु आरक्षित) के नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन को रद्द समझा जाए।

शेष नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन यथावत रहेगा।



(विनोद कुमार तिवारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।